मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

सुमित्रा पुत्री तनसुख जाति जाट निवासी महराना

उनवान बनाम

1. भगवती 2 परमेश्वरी 3. बालदेवी 4. पुत्रिया तनसुख
4. बरजी पत्नी तनसुख
5. भगतराम पुत्र तनसुख
6. रामपति पुत्री तनसुख
7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 205/2021

निर्णय दिनांक :– 24/11/2021

वादी की ओर से वकील..........की व प्रतिवादी सं०.......... की ओर से वकील..........की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..........को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 9MRN के खाता संख्या 29/33 के मु०न० 76 व 92 के कुल किता 5 की कुल 1.099 है० वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मुश्तर्का खाता की प्रत्येक की 1/7-1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 5MRN के खाता संख्या 57/53 के मु०न० 7 के कुल किता 13 की कुल 3.049 हैक्टेयर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मुश्तर्का खाता की प्रत्येक की 1/7-1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादीया सुमित्रा को 3/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीया सुमित्रा के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़